

श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक न्याय/विधिव/2025/42033 दिनांक 13/2/25 द्वारा न्यायालय सपरवाड अधिकारी भीलवाड़ा में विद्यमान राजस्थान कानूनकारी अधिनियम 1956 की बख न्यायालय सपरवाड अधिकारी भीलवाड़ा में विद्यमान दिनांक 13/2/25 को पत्रावलीया बंधित 53,88,99,2क,183,188 एवं 212 के अंतर्गत दिनांक 13/2/25 को पत्रावलीया बंधित होकर वास्तो सुनवाई प्राप्त हुई है। उक्त प्रकरणों में समस्त प्रकरणों को वास्तो सुनवाई तलब किया जाकर सुनवाई की जाती है। स्थानिक उपजम्ह अधिकारी भीलवाड़ा से अनुरोध उक्त पत्रावलीया को तलब रूप से निस्त कर दिया जाने हेतु एवं जनहितार्थ राजस्थान कानूनकारी अधिनियम 1956 की धारा 210 (1) में प्रदत्त शर्तियों का उपयोग करते हुए अनुरोध किया जाता है कि उक्त समस्त पत्रावलीया में तलब बाय प्रदान किये जाने एवं सुनवाई निर्धारण किये जाने हेतु कृपया कोर्ट दिनांक 31/7/25 में तलब बाय प्रदान किये जाने हेतु पत्रावलीया बंधित / अनुसूचित पत्रावली वास्तो सुनवाई दिनांक 31/7/25 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा

31/7/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 21/11/25 को पेश हो।
आदेश से रीट

Not press 21/11/25 -
Deletion
31/7/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 31/7/25 को पेश हो।
आदेश से रीट

2 क 4
31/7/25
Not Press
Deletion
31/7/25
वकीलवादी पक्ष

जवाब की जेब उरी) वादी एवं वादी अधिवक्ता उज्ज-1 वादी अधिवक्ता द्वारा जमाना पर बान् वादना को आणकी शकी नामी ही जाने से बिडा काने की अनुमति बान् बिडा किना गणा वादी एवं वादी अधिवक्ता की सुन गणा) वादी अधिवक्ता बाबा उल्लु जमाना पर बान् वाद बिडा किना जाने को कबीला किना लाग ही) वादी द्वारा वाद बिडा कर किने जाने से वादी बाबा उल्लु वाद पर अनुमति बाबा 88, 188 राजस्थान कानूनकारी अधिनियम के कोई कार्रवारी भोगा ही नहीं है। अतः वादी का वाद निरर्थक किना लाग ही। किना किने स्वमान सुनना गणा पत्रावली फौजल कुमार हीका गणित फल से आ नम्बर ले कम ही।

31/7/25

सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा